

पनावली पेष्वा कुशी

हाजिर | बहल कबील वादी वकील वादी
गामी | दौरान बहल कबन वादी सुनी
श्रीमि ख० न० 3875 रम्बा 1.67

तन ग्राम कावर तहसील खण्डेला में का

10 हिल्ला का अकेला खातेदार का
कारतकार है। प्रतिवादी ख०। ला 3

वादी के हिल्ले में आभी भूमि की लो
डोल तोड़ कर अतिक्रमण कर निर्माण

करना चाहते हैं। वादी की भूमि पर अ
कब्जा करना चाहते हैं। अतः प्रतिवादी

को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से परवर
परमादा जावे कि श्रीमि ख० न० 3875

रम्बा 1.67 हैं ग्राम कावर तहसील खण्डेला
हाल तहसील खण्डेला में वादी के हिल्ला

की भूमि पर अकेल अतिक्रमण व निर्माण
न करे। फेड़ न काटे, फसल को नुकसान

न पहुंचाए। मौका स्थिति बनाए रखे।

हमने बहल कबील वादी कुशी

तथा बहल पर सगौर मनन विभा
वादी विवादित भूमि में 10 हिल्ला

का खातेदार कारतकार है। वाद सुस्त
ख० न० 3875 रम्बा 1.67 हैं तन ग्राम कावर
तहसील खण्डेला में वादी का 10 हिल्ला

का कारिण खातेदार का कारतकार है। प्रतिवादी

कोर पड़ोसी खातेदार हैं जिन्होंने वादी की
खातेदारी भूमि में हरने सुप बिना जाना उचित
नहीं है। अतः उपरोक्त प्रतिवादी गण को
स्वामी अधिकारों से पाबन्द किया जाना उचित
है। भादेश दिया जाता है कि :-

भादेश

प्रतिवादी गण को जरिये स्वामी अधिकारों
से पाबन्द किया जाता है कि भूमि ख. नं.
3875 रकबा 1.67 है० तब ग्राम कांस्टे
बल तालीम खण्डेला में वादी के राजस्व रिकार्ड
में दर्ज हिला ही भूमि में हरने सुप ना
करें। पत्रावली फेंचकर सुमार होकर
नम्बर से कम हो बाद तालीम दायिम
दालत हो।



(रणजीत सिंह)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)